

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/एल०-182/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० प्रियंका कुमारी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, असरगंज, मुंगेर द्वारा प्रथम संतान के प्रसव हेतु दिनांक-17.10.2025 से कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिन उपभोगित/उपभोग की जाने वाली अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

26(2)

ज्ञापांक-2/एल०-182/2025-

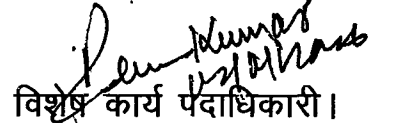
/स्वा०,

पटना, दिनांक 07/01/2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, असरगंज, मुंगेर/कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर/डा० प्रियंका कुमारी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, असरगंज, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।